राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 4 ( ) परावि / पी.सी / नि.रा.यो. / 2012–13 / 1617 जयपुर, दिनांक : 9.11.2012

मुख्य कार्यकारी अधिकरी
जिला परिषद, समस्त।

विषय :– पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निर्बंध राशि के उपयोग के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4 ( ) परावि / पी.सी / नि.रा.यो. / 2012–13 / 1503 जयपुर दिनांक 9.10.2012 एवं 1595 दिनांक 7.11.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र क्रमांक 1503 दिनांक 9.10.2012 में पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं यथा – 13वां वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग तथा राज्य निर्बंध राशि योजनाओं में निर्बंध राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं, अंकित किया हुआ हैं, यथावत रहेगा। इसी प्रकार विभागीय पत्र क्रमांक 1595 दिनांक 7.11.2012 में ग्रामों की आन्तरिक सडकों के निर्माण कार्य में सीमेंट कंक्रीट प्री–कास्ट इन्टर लॉकिंग ब्लॉक / टाईल का ही उपयोग किया जाना हैं, अंकित किया गया हैं। अतः इस संबंध में भी पुनः स्पष्ट किया जाता हैं कि ग्रामों में आन्तरिक सडकों के निर्माण कार्य स्थानीय उपलब्ध निर्माण सामग्री (पत्थर / ईंट खरन्जा) के माध्यम से भी कराये जा सकते हैं।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजि सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजि सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(आर्थिक मामलात) विभाग, राज. जयपुर।
8. जिला कलेक्टर समस्त।
9. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
10. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद समस्त।
12. सहायक अभियन्ता, जिला परिषद समस्त।
13. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।

शासन सचिव एवं आयुक्त